बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(अररिया)–75 / 2020 5222 **पटना, दिनांक**:– 23.06.23

आदेश

दिनांक 29.12.2022 को प्रभात खबर में श्री राहुल कुमार, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (SKN00873) के विरूद्ध सर्वेक्षण कार्यो में ग्रामीणों से अवैध राशि की वसूली करने के आरोप में स्थानीय पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की सूचना प्रकाशित होने के फलस्वरूप स्वतः संज्ञान लेते हुए बंदोबस्त पदाधिकारी, अररिया से इस कार्यालय के पत्रांक 4824 दिनांक 30.12.2022 के द्वारा कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 03–। दिनांक 12.01.2023 द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि बौंसी थानाध्यक्ष द्वारा रैयतों से रूपये की उगाही करने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध बौंसी थाना में काण्ड संख्या 132 / 2022 Under Section 218 / 420 / 384 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के उपरांत न्यायिक हिरासत से मुक्त होकर उनके यहाँ योगदान दिया गया है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि ये लीवर के गंभीर रोग से ग्रसित हैं, जिसके कारण आवागमन करने में असमर्थ हैं।

उक्त प्रतिवेदन के आलोक में आरोपित से इस कार्यालय के पत्रांक 2949 दिनांक 25.04.2023 के द्वारा 03 दिनों के अन्दर इस निदेश के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। आरोपित का स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि तक एवं इसके बाद भी प्राप्त होने की सूचना संचिका में नहीं है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर तथा निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि बंदोबस्त पदाधिकारी के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि आरोपित द्वारा भ्रष्टाचार जैसा कार्य किया गया है, जिसके फलस्वरूप इनकी गिरफ्तारी के साथ–साथ इनके विरूद्ध थाना काण्ड दर्ज हुआ है, जिसके ये प्राथमिकी अभियुक्त बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा स्पष्ट निदेश के बावजूद भी स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है, जो वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना का द्योतक है। विशेष सर्वेक्षण कार्य आमजनो के बीच आमजनो के सहयोग से किया जाने वाला कार्य है। इनके द्वारा भ्रष्टाचार जैसा कृत्य करने से आमजनो में विशेष सर्वेक्षण कार्य के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न होने एवं अन्य संविदा कर्मियों पर इसका कुप्रभाव पड़ने के दृष्टिगत इन्हें संविदा में बनाए रखना उचित नहीं होगा।

अतः उपरोक्त के आलोक में **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 8(4)"** के आलोक में श्री राहुल कुमार, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (SKN00873) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

23/6/23

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(अररिया)–75 / 2020 5222 **पटना, दिनांक** :– 23.06.23

प्रतिलिपि :– श्री राहुल कुमार, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (SKN00873) बंदोबस्त कार्यालय, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप00

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(अररिया)–75 / 2020 5222 **पटना, दिनांक** :– 23.06.23

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / 02–भू0अ0नि0राज्य यो0(आरोप)खगड़िया–30 / 2023 5222 **पटना, दिनांक** :– 23.06.23

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय आदेश संख्या 1250 दिनांक 30.01.2023 के अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप